# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3284/2020 शंकर लाल डामोर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III पद पर वरीयता क्रमांक 4840 व चयन वर्ग STM, TSP पर चयनोपरान्त विकल्प पत्र मे प्रथम तीन प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित उदयपुर (टीएसपी क्षेत्र), डूंगरपुर (टीएसपी क्षेत्र) एवं बांसवाड़ा (टीएसपी क्षेत्र) जिला आवंटित न कर प्रतापगढ जिला आवंटित किया गया, जबकि याचिकार्थी के चयन वर्ग STM, TSP में निम्न वरियता क्रमांक वाले अभ्यर्थियों यथा 5239, 5333, 5464, 5788, 6007, 6014 एवं 6054 को उदयपुर जिला आवंटित किया गया। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावदेन प्रस्तुत कर वरीयतानुसार उदयपुर जिला आवंटित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। याचिकार्थी का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयन वर्ग STM, TSP में वरीयता क्रमांक 4840 पर चयन किया जाना पाया गया। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III भर्ती 2016 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 04.09.2017 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस संभाग को आवंटित किए जावें। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III की रिक्तियो (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिलें के चयनवर्ग वार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियॉं यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/ एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयनवर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाईट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिलें की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन किया जावें", के निर्देश दिए गए थे तथा तय विभागीय नीति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट/ईमेल पर विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये है, ऐसे अभ्यर्थियों को, विकल्प पत्र प्रस्तुत करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की संख्या तक विकल्प पत्र के आधार पर जिला आवटन के पश्चात, शेष रहे विज्ञापित पदों के अनुरूप वर्गवार मेरिट के आधार पर जिला आवंटन किया जायेगा।

विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.10.2017 तक याचिकार्थी द्वारा अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तय विभागीय नीति अनुसार याचिकार्थी के समान चयन वर्ग STM, TSP में विज्ञापित रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियुक्ति हेतु प्रतापगढ जिला आवंटित किया गया।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों यथा–5239, 5333, 5464, 5788, 6007, 6014 एवं 6054 को उदयपुर जिला आवंटित किए जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक उक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, अतः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी वरीयता क्रमांक और उनके विकल्प पत्र में अंकित प्राथमिकता के आधार पर शासन के दिशा–निर्देश एवं विभागीय नीति अनुसार उदयपुर जिला आवंटित किया गया।

अतः याचिकार्थी द्वारा वरीयतानुसार उदयपुर जिला आवंटित कर पदस्थापन सम्बन्धी मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)<br>
आई.ए.एस<br>
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,<br>
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12859/2020 दिनांकः– 16.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रतापगढ/उदयपुर
6. याचिकार्थी श्री शंकर लाल डामोर पुत्र श्री वीरजी डामोर, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद, जिला–प्रतापगढ (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)